उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-58/2896/71-2-2017-1/2016
लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के प्राविधान के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग की जनहित सेवाओं के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थानों में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1312/71-2-16-01/2016 दिनांक 15 मार्च 2016 को अवक्रमित करते हुए निम्नानुसार पदाविहित अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी नामित किये जाते है:-

अनुसूची

क्रम सं0	विभाग का नाम	सेवायें	चिकित्सा विश्वविद्यालय /चिकित्सा संस्थान/मेडिकल कालेज	पदाभिहित अधिकारी		प्रथम अपील अधिकारी		द्वितीय अपील प्राधिकारी	
				पदनाम	समय सीमा	पदनाम	समय सीमा	पदनाम	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1. चिकित्सा प्रमाण-पत्र (एलोपैथी पद्धति) जारी किया जाना। 2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का सत्यापन	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	संबंधित विभागाध्यक्ष	07 दिवस	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	15 दिवस	कुलपति	15 दिवस
			उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।	संबंधित विभागाध्यक्ष	07 दिवस	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	15 दिवस	कुलपति	15 दिवस
			संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	संबंधित विभागाध्यक्ष	07 दिवस	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	15 दिवस	निदेशक	15 दिवस
			डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	संबंधित विभागाध्यक्ष	07 दिवस	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	15 दिवस	निदेशक	15 दिवस
			सुपर स्पेशियलिटी पी0जी0बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।	संबंधित विभागाध्यक्ष	07 दिवस	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	15 दिवस	निदेशक	15 दिवस
			राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।	संबंधित विभागाध्यक्ष	07 दिवस	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	15 दिवस	निदेशक	15 दिवस
			राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।	संबंधित विभागाध्यक्ष	07 दिवस	प्रधानाचार्य	15 दिवस	महानिदेशक	15 दिवस
		3.एलोपैथिक/नर्सिग/डेण्टल/पैरामेडिकल पाठयक्रम/डिग्री/डिप्लोमा/प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के [redacted]	उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी बोर्ड, लखनऊ।	प्रशासनिक अधिकारी	04 दिवस	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	07 दिवस	सचिव	12 दिवस

2- उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अध्यादेश 2011 के अंतर्गत उपरोक्त सेवाओं के निस्तारण हेतु संबंधित चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थान/मेडिकल कालेज उक्त नियत समय-सीमा के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

संजय कुमार उपाध्याय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-58/2017/2896(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. कुलपति/निदेशक/प्रधानाचार्य, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय/एस0जी0पी0जी0आई0/डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान/सुपर स्पेशियलिटी पी0जी0बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा/राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा/समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
5. सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी बोर्ड, लखनऊ।
6. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।